पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1159
दिनांक-13.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा टप्पेबाजी/चेन चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार।**
- **जिनके कब्जे से चोरी का 01 अदद मंगलसूत्र का लाकेट, 03 अदद चेन के टुकड़े (पीली धातु) एवं रू 620/- नगद बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना गुडम्बा क्षेत्र में ई-रिक्शा में सफर करने वाली महिलाओं का ध्यान भटकाकर उनके गले से मंगलसूत्र एवं चेन चोरी किये जाने की घटनाओं के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-174/2026, 176/2026, 265/2026 एवं 269/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं, जिनकी विवेचना क्रमशः उ0नि0 फनीश कुमार सिंह, उ0नि0 दिग्विजय यादव एवं उ0नि0 शिवशंकर द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 12.07.2026 को उ0नि0 फनीश कुमार सिंह मय पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण, अपराधियों की तलाश एवं रोकथाम अपराध के दौरान टेढ़ी पुलिया पर मौजूद थे। मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि टप्पेबाजी की घटनाओं में संलिप्त महिलाएं पार्षद चौराहे के पास एक ई-रिक्शा में बैठी हुई हैं जो आज पुनः किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी कर ई-रिक्शा को लगभग 150 मीटर पार्षद चौराहे से आगे सेक्टर जी जानकीपुरम में रोककर दो महिलाओं को पकड़ा गया।

महिला पुलिसकर्मियों द्वारा विधिवत जामा तलाशी लेने पर अभियुक्ता नीतू के कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र का लाकेट (पीली धातु), 01 अदद चेन का टुकड़ा (पीली धातु) एवं रू 380/- नगद तथा अभियुक्ता मुस्कान के कब्जे से 02 अदद चेन के टुकड़े (पीली धातु) एवं रू 240/- नगद बरामद किया गया।

पूछताछ में दोनों अभियुक्ताओं द्वारा अपनी साथी आंचल के साथ मिलकर थाना गुडम्बा क्षेत्र में ई-रिक्शा में महिलाओं का ध्यान भटकाकर उनके गले से मंगलसूत्र एवं चेन चोरी करने की चार घटनाओं को स्वीकार किया गया। बरामद आभूषण उक्त अभियोगों से संबंधित चोरी गई सम्पत्ति होना पाया गया, जिसके आधार पर उपरोक्त समस्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्तागण को उपरोक्त मुकदमों में अंतर्गत धारा 303(2)/317(2) BNS में दिनांक 12.07.2026 को समय 16.04 बजे पार्षद चौराहे के पास सेक्टर जी जानकीपुरम से गिरफ्तार किया गया जिनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्ताओं ने बताया कि वे अपनी साथी आंचल के साथ ई-रिक्शा में महिलाओं के पास बैठकर बातचीत एवं हरकतों से उनका ध्यान भटकाती थीं तथा मौका पाकर उनके गले से मंगलसूत्र एवं चेन चोरी कर लेती थीं। चोरी के बाद आभूषणों को आपस में बराबर-बराबर बांट लेती थीं तथा अधिकांश हिस्से को राह चलते व्यक्तियों को बेचकर प्राप्त धनराशि व्यक्तिगत खर्च में व्यय कर देती थीं। बरामद आभूषण उनके हिस्से में बची चोरी की सम्पत्ति है। आज यह लोग पुनः किसी घटना को अंजाम देने वाली थी ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-174/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-176/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, लखनऊ।- (अभियुक्ता मुस्कान)
3. मु0अ0सं0-265/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-269/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

04-आपराधिक इतिहास नीतू पत्नी दिनेश

01-मु0अ0सं0 103/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बस्ती

02-मु0अ0सं0 308/23 धारा 379 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद बस्ती

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. नीतू उम्र 45 वर्ष पत्नी दिनेश, निवासी ग्राम चिलबिली, थाना धीना, जनपद आजमगढ़।
2. मुस्कान उम्र 27 वर्ष पत्नी रवि, निवासी ग्राम हीरापुर सुल्तानीपुर, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ।

06-बरामदगी-

- 01 अदद मंगलसूत्र का लाकेट (पीली धातु) सम्बन्धित मु0अ0सं0 269/26 थाना गुडम्बा लखनऊ
- 03 अदद चेन के टुकड़े (पीली धातु) सम्बन्धित मु0अ0सं0 174/26, 176/26, 265/26 थाना गुडम्बा लखनऊ
- रू 620/- नगद जामा तलाशी

07-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री फनीश कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री दिग्विजय यादव
4. उ0नि0 श्री शिवशंकर
5. उ0नि0 श्री राहुल द्विवेदी
6. म0उ0नि0 पम्मी नायक
7. हे0का0 राजन त्रिपाठी
8. म0हे0का0 तमन्ना सिंह
9. का0 रवेन्द्र पाल
10. म0का0 आरती देवी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1160
दिनांक-13.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- **मकान/प्लाट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहा का पर्दाफाश।**
- **थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों/ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-25.04.2025 को वादी मुकदमा विनय कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री डोरीलाल पाण्डेय निवासी किराये के मकान नं0 B2/D1 सेक्टर D, LDA कानपुर रोड लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-0191/2025,धारा-316(2)/318(2)/351(2) भा0न्या0सं0 थाना कृष्णानगर लखनऊ बनाम अमन शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला आदि 13 नफर अभियुक्तगण,नामित अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा को मकान दिलाने के नाम पर ठगी कर रूपया ले लेने, विरोध करने पर जान माल की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

अभियोग उपरोक्त के सफल अनावरण हेतु 03 टीमें गठित की गयीं थी, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों/स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त की संभावित स्थानों पर तलाश/दबिश दी जा रही थी। आज दिनांक 13.07.2026 को माता जी की बगिया से अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि ये लोग संगठित रूप से एक गिरोह बनाकर कार्य करते हैं। गिरोह का उद्देश्य सीधे-सादे एवं भोले-भाले लोगों को जमीन, मकान, प्लॉट तथा अन्य अचल सम्पत्तियाँ कम कीमत पर उपलब्ध कराने का झांसा देकर अपने विश्वास में लेना होता है। इसके बाद वे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन एवं झूठे आश्वासन देकर उनसे अग्रिम धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण न तो कोई सम्पत्ति उपलब्ध कराते हैं और न ही धनराशि वापस करते हैं, बल्कि बहाने बनाकर पीड़ितों से सम्पर्क समाप्त कर देते हैं।

पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि ठगी से प्राप्त धनराशि को अभियुक्तगण आपस में पूर्व निर्धारित हिस्से के अनुसार बाँट लेते हैं तथा अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर, बैंक खाते एवं अन्य माध्यमों का प्रयोग करते हैं। अभियुक्तगण लोगों को झूठे दस्तावेज, फर्जी आश्वासन एवं आकर्षक सौदों का लालच देकर अपने जाल में फँसाते थे। उनसे इस गिरोह में शामिल अन्य व्यक्तियों, ठगी की घटनाओं तथा प्राप्त धनराशि के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-अनावरित अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0-191/2025,धारा-316(2)/318(2)/351(2) भा0न्या0सं0 व बढोत्तरी धारा-318(4)/61(2)/111(2) थाना कृष्णानगर लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-सुनील शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला निवासी ई-2/577 कानपुर रोड सेक्टर-जी एलडीए कालोनी लखनऊ हालपता सी01/4 सुलभआवास, रंजनीखण्ड, आशियाना नियर इण्डिय बैक लखनऊ उम्र करीब 31 वर्ष।

02-सुनीता शुक्ला पत्नी दिनेश शुकला निवासी ई-2/577 कानपुर रोड सेक्टर-जी एलडीए कालोनी लखनऊ उम्र करीब 55 वर्ष।

03-पंकज अग्रवाल पुत्र स्व0 हरि गोपाल अग्रवाल निवासी K-150 सेक्टर के थाना आशियान लखनऊ उम्र करीब 57 वर्ष।

04-दीपक उर्फ दिवाकर राय पुत्र जगदम्बा राय निवासी 568/399 सी-35 कैलाशपुरी आलमबाग लखनऊ स्थायी पता तरया सुजान जनपद कुशीनगर उम्र करीब 47 वर्ष

05-आपराधिक इतिहासः-

- **अभियुक्त अमन शुक्ला के विरुद्ध कुल-04 अभियोग पंजीकृत हैं-**
  1. मु0अ0सं0-480/2019 धारा 405/506 भादवि0 थाना आशियाना, लखनऊ।
  2. मु0अ0सं0-105/2020 धारा 406/420/504/506 भादवि0 व 3(1)घ, 3(1) द एससी एसटी एक्ट, थाना आशियाना लखनऊ।
  3. मु0अ0सं0-244/2025 धारा 316(2) बीएनएस थाना आशियाना, लखनऊ।
  4. मु0अ0सं0-142/2025 धारा 316(2)/318(4)/351(2) भा0न्या0सं0, थाना सरोजनीनगर लखनऊ।
- **अभियुक्त सुनीता शुक्ला के विरुद्ध कुल-01 अभियोग पंजीकृत हैं-**
  1. मु0अ0सं0-105/2020 धारा 406/420/504/506 भादवि0 व 3(1)घ, 3(1) द एससी एसटी एक्ट, थाना आशियाना लखनऊ।
- **अभियुक्त दिवाकर राय के विरुद्ध कुल-01 अभियोग पंजीकृत हैं-**
  1. मु0अ0सं0-105/2020 धारा 406/420/504/506 भादवि0 व 3(1)घ, 3(1) द एससी एसटी एक्ट, थाना आशियाना लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह, थाना कृष्णानगर,लखनऊ।
2. उ0नि0 सिद्धी मिश्रा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
3. उ0नि0 सुनील कुमार, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
4. का0-पवन कुमार, थाना कृष्णानगर लखनऊ।
5. का0-रोहित बालियान, थाना कृष्णानगर लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1162
दिनांक-13.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-निगोहाँ

- **नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने एवं शारीरिक संबन्ध बनाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना निगोहाँ पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही से महज 24 घण्टे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना निगोहाँ पर एक लिखित प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वादी मुकदमा की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री से अल्ताब अहमत पुत्र मुनीर अहमद उर्फ नन्हू निवासी ग्राम रामपुर गढ़ी जमुनी थाना निगोहाँ लखनऊ द्वारा फोन पर बात चीत की जाती थी। वादी मुकदमा के अनुसार दिनाक-10.07.2026 को समय सुबह लगभग 10.00 बजे अभियुक्त उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जानकारी होने पर जब वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के घर पर इसकी शिकायत की गई तो अभयुक्त द्वारा पीडिता को उसके घर के बाहर छोड़ दिया गया। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त पर पीडिता के साथ कई बार शारीरिक संबन्ध बनाने का आरोप लगाया गया।

उक्त गम्भीर सूचना पर तत्काल थाना निगोहाँ पर मु0अ0स0-86/2026,धारा-65(1),137(2),87 बी0एन0एस0 एवं 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट अभियुक्त अल्ताब अहमद पुत्र नन्हू उर्फ मुनीर अहमद निवासी ग्राम रामपुर गढ़ी थाना निगोहाँ लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अल्ताब अहमद को आज दिनांक 13.07.2026 को नगराम-निगोहां मार्ग पर रेलवे क्रोसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-पूछताछ विवरण—

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अल्ताब अहमद द्वारा बताया गया कि वह पेट्रोल पंप पर वाहनों की शाइनिंग पॉलिश बेचने का कार्य करता है। अभियुक्त के अनुसार लगभग एक वर्ष पूर्व कस्बा निगोहां में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उसकी पीड़िता से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.07.2026 को वह बालिका को अपने साथ लखनऊ घुमाने ले गया था। अभियुक्त द्वारा पीड़िता से पूर्व से फोन पर बातचीत किए जाने तथा उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए जाने की बात स्वीकार की गई।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अल्ताब अहमद पुत्र नन्हू उर्फ मुनीर अहमद निवासी ग्राम रामपुर गढ़ी थाना निगोहाँ लखनऊ उम्र 23 वर्ष

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0स0-86/2026,धारा-65(1),137(2),87 बी0एन0एस0 एवं 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट थाना निगोहाँ लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- व0उ0नि0 राजेश कुमार दीक्षित
- उ0नि0 श्री चन्दन कुमार यादव
- का0 दिलीप कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1158
दिनांक-13.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम की बडी सफलता, चोरी का घटना का सफल अनावरण।**
- **चोरी करने वाला 03 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी किये गये कीमती जेवरात (लगभग 4 लाख रुपये) की शत प्रतिशत बरामदगी।**
- **अभियक्तगणो के कब्जे से चोरी की गयी स्कूटी का चेचिस भी बरामद।**

01-कार्यवाही विवरणः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में चोरी की घटना का त्वरित एवं सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से पीली/सफेद धातु के आभूषण की बरामद की गई है।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.07.2026 को वादी मुकदमा श्री अनिल कुमार पुत्र स्व0 जय प्रकाश निवासी सेक्टर, 10B/B-44/F-24 पीएम आवास थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान ताला व लाकर तोड़कर पत्नी के जेवर चोरी कर लिये गये है।

दिनांक 11.07.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती दीपिका पाण्डेय पत्नी सुशील पाण्डेय सिंह नि0 वार्ड नं.3 नगर पंचायत मुसाफरखाना ब्लाक सी हाल पता T08B4,H.NO-G5 बसेरा 1 सेक्टर 8 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादिनी की स्कूटी UP36 B2 899 T.V.S Bigo चोरी कर ली गयी है।

उक्त दोनो तहरीर के आधार पर क्रमशः मु0अ0सं0 417/2026 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात, मु0अ0सं0 438/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) द्वारा थाना स्तर पर कुल 02 टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा वादी के साथ तकनीकी व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई तथा मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ दिन पूर्व चोरी की दोनो घटनाओ में एक गिरोह का हाथ था और वह सब अभी कुछ देर में चोरी के समान के साथ जी-20 चौराहा से उतरटिया रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग पर शहीद पथ पुल के नीचे की तरफ से आने वाले हैं और स्कूटी की चेचिस कबाड़ी को व चोरी का जेवर किसी व्यक्ति को बेचने जा रहे हैं मौके से पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर चोरी गये सामान के साथ 03 व्यक्तियो को हिरासत मे लिया गया।

अभियुक्तगण के पास से उक्त बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये अभियुक्त 01- सन्दीप कश्यप पुत्र रामसिंह को मु0अ0स0 438/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 417/2026 धारा 305(a)/331(3)/317(2) बीएनएस 02- अभियुक्त फुरकान बरकत पुत्र बरकत अली को मु0अ0स0 438/2026 धारा 317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 417/2026 धारा 317(2) बीएनएस 03- अभियुक्त तौसिफ पुत्र सहजाद को मु0अ0स0 417/2026 धारा 317(2) बीएनएस में अभियुक्तगणो के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणो से कडाई से पूछतांछ करने पर बताया गया कि साहब मैं (तौसिफ) ज्वैलरी बनाने का कारीगर हूँ लगभग एक सप्ताह पहले सन्दीप कश्यप और फुरकान मुझसे मिलकर कुछ सोने की ज्वैलरी दिया था सन्दीप ने बताया था इसे मै चोरी करके लाया हूँ और बेचने के लिये फुरकान से सम्पर्क कर तुम्हारे पास आये हैं सन्दीप कश्यप और फुरकान द्वारा दी हुई सोने की ज्वैलरी को मैने गला दिया था तथा चांदी के जेवर अपने पास बांटकर रख लिये थे। जो टुकडा मेरे पास से मिला था यह उसी ज्वैलरी का गलाया हुआ टुकडा है। आज हम लोग चोरी का समान बेचने की फिराक में थे तभी आप लोगो ने पकड लिया व संदीप द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.06.2026 को मैने स्कूटी स्कूटी संख्या UP36 B 2899 चोरी की थी तथा स्कूटी के पार्ट मैने और फुरकान ने मिलकर रास्ते में चलते फिरते कबाड़ी को बेच दिये थें किन्तु उसने चेचिस नही खरीदा था क्योकि उस पर चेचिस नम्बर पड़ा था आज स्कूटी की चेचिस बेचने के लिये कबाडी की तलाश कर रहे थे। तभी आप लोगो ने पकड लिया।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. संदीप कश्यप पुत्र रामसिंह निवासी म0न0 84/121 कटरा मकबूल गंज थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र 22 वर्ष
2. फुरकान बरकत पुत्र बरकत अली निवासी म0न0 84/123 कटरा मकबूलगंज थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र 29 वर्ष
3. तौसिफ पुत्र सहजाद निवासी म0न0 81/75 कटरा मकबूलगंज थाना कैसरबाग लखनऊ उम्र 31 वर्ष

05-आपराधिक इतिहास-

- ***अभियुक्त* संदीप कश्यप *के विरुद्ध कुल-05 अभियोग पंजीकृत हैं-***
  - मु0अ0स0 438/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
  - मु0अ0स0 417/2026 धारा 305(a)/331(3)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
  - मु0अ0सं0 83/2023 धारा 380/411 भादवि थाना हुसैनगंज लखनऊ
  - मु0अ0सं0 124/2026 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना पीजीआई लखनऊ
  - मु0अ0सं0 66/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नाका हिन्डोला लखनऊ
- ***अभियुक्त* फुरकान बरकत *के विरुद्ध कुल-02 अभियोग पंजीकृत हैं-***
  - मु0अ0स0 438/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
  - मु0अ0स0 417/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ
- ***अभियुक्त तौसिफ के विरुद्ध कुल-01 अभियोग पंजीकृत हैं-***
  - मु0अ0स0 417/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

06-व्यवसाय-

1. अभियुक्त संदीप कश्यप द्वारा चावमीन का ठेला लगाता है।
2. अभियुक्त फुरकान द्वारा बर्लिंग्टन शापिंग स्कावायर की देखरेख का काम करता है।
3. अभियुक्त तैसिफ द्वारा ज्वैलरी बनाने का कारीगर है।

07-बरामदगी-

- 01 अदद पीली धातु का गलाया हुआ टुकडा
- 10 जोडी विछुआ सफेद धातु
- 01 जोडी पायल सफेद धातु की टूटी हुई
- स्कूटी संख्या UP36B2899 का चेचिस संख्या MD626AG41E1L01201, T.V.S Bigo

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1161

दिनांक-13.07.2026

69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कम्प्यूटर, डॉग स्क्वाड एवं एण्टी सेबोटाज चेक प्रतियोगिता–2026 का शुभारम्भ

उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रकोष्ठों की कार्यकुशलता, दक्षता तथा व्यावसायिक क्षमता को और अधिक सुदृढ़ एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से आयोजित 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कम्प्यूटर, डॉग स्क्वाड एवं एण्टी सेबोटाज चेक प्रतियोगिता–2026 का शुभारम्भ **श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर महोदय** के निर्देशन आज दिनांक **13 जुलाई 2026 को प्रातः 11:00 बजे संगोष्ठी सदन, रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ** में गरिमामय वातावरण में हुआ। **प्रतियोगिता का उद्घाटन श्रीमती अपर्णा कुमार, आईपीएस, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा किया गया।**

इस अवसर पर श्री अनिल कुमार यादव, पुलिस उपायुक्त लाइन्स, लखनऊ तथा श्री राजेश कुमार यादव, अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स, लखनऊ विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे।

इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के **12 पुलिस जोन से करीब 135 प्रतिभागी** पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का समापन 16 जुलाई 2026 सांय काल को किया जाएगा।

प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न विधाओं का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है—

- **कम्प्यूटर प्रतियोगिता** – उत्तर प्रदेश कम्प्यूटर केन्द्र, सिग्नेचर बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
- **एण्टी सेबोटाज चेक एवं वीडियोग्राफी प्रतियोगिता** – पुलिस अधीक्षक-प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, सुरक्षा मुख्यालय उ०प्र० की अध्यक्षता में एण्टी सेबोटाज चेक, डाग स्क्वाड एवं वीडियोग्राफी प्रतियोगिता सुरक्षा मुख्यालय ओम निवास न्यू हैदराबाद, लखनऊ
- **डॉग स्क्वाड एवं विधि विज्ञान (फॉरेंसिक) प्रतियोगिता** – निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की अध्यक्षता में वैज्ञानिक अनुसंधान की विधि विज्ञान लिखित, अंगुल चिन्ह प्रयोगात्मक एवं मौखिक, निरीक्षण घटना स्थल, फोटोग्राफी आई०ओ०, फोटोग्राफी प्रोफेशनल, प्रदर्शों की हैण्डलिंग, पैकिंग एवं फारवर्डिंग, हुलिया बयान, पद चिन्ह प्रयोगात्मक एवं मौखिक तथा मेडिकोलीगल की मौखिक प्रतियोगिताओं का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में होगा।

आज दिनांक 13.07.2026 को प्रतियोगिता के प्रथम दिवस विधि विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) की लिखित परीक्षा एवं निरीक्षण घटना स्थल प्रतियागिता सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

मुख्य अतिथि श्रीमती अपर्णा कुमार, आईपीएस, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), कमिश्नरेट लखनऊ ने अपने संबोधन में कहा-

यह प्रतियोगिता केवल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं, बल्कि **Professional Excellence** का सशक्त माध्यम है। पुलिसिंग में सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और बदलते समय के साथ स्वयं को तकनीकी रूप से अद्यतन रखना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे तकनीकी अपराधों का प्रभावी मुकाबला वैज्ञानिक अनुसंधान, आधुनिक तकनीक एवं तकनीकी दक्षता के माध्यम से ही संभव है। आज की पुलिसिंग **Reactive** के बजाय **Proactive एवं Technology Driven Policing** की दिशा में अग्रसर है।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, निष्पक्षता एवं टीम भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे यहां से नई तकनीक, नए अनुभव और नई सोच के साथ अपने कार्यस्थलों पर लौटें। अंत में उन्होंने आयोजकों को बधाई एवं सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।

इस अवसर पर डॉ. बृजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक (लॉजिस्टिक), डॉ. राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ, डॉ. श्रीमती मनीषा, वैज्ञानिक अधिकारी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ, प्रतिसार निरीक्षक प्रथम श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह तथा प्रतिसार निरीक्षक द्वितीय श्री राजेश कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

उद्देश्य-

यह प्रतियोगिता पुलिस बल में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी उत्कृष्टता तथा व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे भविष्य में अपराधों की वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन, तकनीकी अन्वेषण एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।